कलेक्टर से भिड़ने वाले विधायक को फटकार

प्रदेशाध्यक्ष ने नरेन्द्र सिंह कुशवाह को चेतावनी

व्यवहार को पार्टी लाइन के खिलाफ माना

कहा, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 अगस्त. भिंड कलेक्टर को गाली देने और उन्हें मारने की नियत से हाथ उठाने वाले भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह को प्रदेश भाजपा संगठन ने शुक्रवार को भोपाल तलब किया.

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने कुशवाह से पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा लिया. इस दौरान संगठन ने विधायक के व्यवहार को गैरजिम्मेदाराना करार दिया. उन्होंने इस बेहद गंभीर मामला बताते हुए साफ किया कि आपका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं होगा. प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के निवास पर हुई बैठक में कुशवाह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित तीनों पदाधिकारियों ने साफ किया कि सार्वजनिक जीवन में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर सबकी नजर होती है. भाजपा अपने जनप्रतिनिधियों से इस तरह की अपेक्षा नहीं रखती कि उनके आचरण से समाज में गलत संदेश जाये. यदि कलेक्टर या प्रशासन के किसी भी अधिकारी से किसी भी विषय पर चर्चा करना है तो इसके लिये प्लेटफार्म उपलब्ध है. सार्वजनिक रूप से गाली-गलौच करना शोभा नहीं देता. हमारे मतदाता अपने जनप्रतिनिधि से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं करते. हमें उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है. यदि कोई समस्या थी तो कलेक्टर से सीधी बात कर सकते थे. यदि वे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर उच्च स्तर पर मामले को ध्यान में लाया जा सकता था.

> यहां बता दें कि तीन दिन पहले भिंड से भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मारने के लिये हाथ उठा दिया था. इस दौरान गाली-गलौच भी की गई थी. कलेक्टर ने भी तैश में आते हुए कहा था कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा. इस पर विधायक ने कलेक्टर को ही चोर बता दिया था. कुशवाह के समर्थक भी कलेक्टर को चोर कहते हुए नारेबाजी करने लगे थे. ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया था. कुशवाह खाद संकट को लेकर कलेक्टर बंगले के बाहर बैठ गये थे. वे कलेक्टर से बाहर आकर बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं मानी. बाद में कलेक्टर आये तो वे भड़क गये थे और कलेक्टर को ही धमका दिया था.

परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनीटरिंग

नगरीय प्रशासन आयुक्त भोंडवे से मिला एडीबी का प्रतिनिधिमंडल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 अगस्त. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आयुक्त और मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी के प्रबंध संचालक संकेत भोंडवे से शुक्रवार को भोपाल के शिवाजी नगर स्थित पालिका भवन में एशियन डेव्हलपमेंट बैंक एडीबी के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य मुलाकात की.

प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व एडीबी के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी विवेक विशाल ने किया. बैठक के दौरान आयुक्त भोंडवे ने प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि परियोजना की ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिये नवाचारों का उपयोग किया जा रहा है. इस दिशा में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है. इसके साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये आईआईटी रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सलाह ली जा रही है.

प्रदेश में एडीबी की आर्थिक मदद से प्रदेश के 66 नगरों में जल-प्रदाय, 2 नगरों में एकीकृत नगर विकास की परियोजना और 5 नगरों में सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. आयुक्त भोंडवे ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि एडीबी की मदद से निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जायेगा.

लव जिहाद फंडिंग केस में फरार पार्षद कोर्ट में हाजिर

40 हजार का इनामी, दाढ़ी-मूंछ बदलकर पहुंचा

इंदौर,29 अगस्त. लव जिहाद फंडिंग प्रकरण में करीब तीन माह से फरार चल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी शुक्रवार को अचानक जिला कोर्ट में पेश हुआ. वह दाढ़ी-मूंछ कटवाकर अलग रूप में पहुंचा. जैसे ही उसकी मौजूदगी की जानकारी लोगों को मिली, भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा.

स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने कादरी को चारों ओर से घेरकर सुरक्षित कोर्ट कक्ष तक पहुंचाया. बाणगंगा पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान कादरी का आठ दिन का रिमांड मांगा. रिमांड मिलने के बाद जैसे ही उसे बाहर लाया गया, एक बार फिर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. भीड़ कादरी की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस ने उसे तत्काल वाहन में बैठाकर रवाना कर दिया. क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि कादरी दो मामलों में वांटेड था और उसकी गिरफ्तारी पर 40 हजार रुपए का इनाम घोषित था. करीब दो महीने पहले बाणगंगा थाने में दो युवकों पर दो युवतियों से रेप और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला दर्ज किया था. जांच में सामने आए वीडियो और बयान में पीड़िताओं को बहकाने व निकाह कराने के लिए पैसों की फंडिंग का आरोप कादरी पर लगा था. एफआईआर में उसका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर जोड़ा गया.

निकाह कराने पर दो लाख देने की बात कही

आरोप है कि कादरी ने युवकों को लड़की फंसाने के लिए एक लाख रुपए और निकाह कराने पर दो लाख रुपए देने की बात कही थी. वहीं, आरोपी साहिल शेख और अल्ताफ ने फर्जी हिंदू नामों से सोशल मीडिया आईडी बनाकर लड़कियों से दोस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. मोबाइल जांच में यह बात भी स्पष्ट हो गई थी. इधर, नगर निगम प्रशासन ने भी कादरी पर कार्रवाई की तैयारी कर ली थी. महापौर परिषद की बैठक में उसे पार्षद पद से हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था. नगर निगम कमिश्नर दीपक सिंह ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था. हालांकि, समय सीमा पूरी होने से पहले ही वह शुक्रवार को कोर्ट में पेश हो गया. जहां से पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया है.

जिंसी चौराहे पर लगे बैनर से मचा बवाल

हरकत में आई पुलिस ने तुरंत हटाया, जांच शुरू

इंदौर,29 अगस्त. शहर की मुस्लिम बहुल कॉलोनी जिंसी चौराहे पर शुक्रवार को लगाए गए 'इस्लाम जिंदाबाद' लिखे बैनरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मामले की खबर लगते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा कर दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बैनर धार्मिक माहौल बिगाड़ने की नीयत से लगाए गए हैं. मामले में पुलिस जांच कर रही है. हिंदूवादी नेता तन्नू शर्मा ने एसीपी विवेक सिंह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई.

> शर्मा का कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के संदेश प्रचारित करना एकतरफा धार्मिक भावना भड़काने का प्रयास है. सूचना पर मल्हारगंज थाना पुलिस भी तुरंत पहुंची और एहतियातन बैनर हटा दिए. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है. फिलहाल बैनर लगाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है और मामले की जांच जारी है.

अब 112 लगाओ, पुलिस बुलाओ डायल 100 का नंबर भूल जाओ

- उज्जैन पुलिस हुई हाईटेक डायल 112 के 35 नए वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे
- सभी आपातकालीन सुविधाओं के लिए एक ही नंबर जारी
- आप सिर्फ कॉल करें, फिर पुलिस की जिम्मेदारी

उज्जैन. किसी भी आपातकालीन समस्या में मदद के लिए अब डायल हंड्रेड का नंबर भूल जाए, इसकी बजाय 112 नंबर लगाएं और पुलिस बुलाएं, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के गृह नगर में नए हाईटेक पुलिस पहुंच गए, जिनका शुभारंभ किया.

नागरिकों की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित उपलब्धता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उज्जैन पुलिस को 35 नवीन एफआरवी फास्ट रिस्पॉन्स व्हीकल प्राप्त हुए हैं.

डायल-112 से जुड़ी आपातकालीन सेवाएँ

नवभारत से चर्चा में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 112 नंबर से जुड़ी आपातकालीन सभी सेवाओं के लिए तुरंत पुलिस मदद करेगी. 100 नंबर की जगह सिर्फ 112 नंबर याद रखें, जिसमें पुलिस सहायता ,मेडिकल सेवा अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन आपदा प्रबंधन, रेल मदद, हाईवे एक्सीडेंट हेल्पलाइन, बालिका एवं चाइल्ड हेल्पलाइन प्रमुख है. अब नागरिकों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ 112 डायल कर लाभ त्वरित रूप से उठा सकेंगे.

24 वाहन शहर में, 11 गांव में दौड़ेंगे

जो नए हाईटेक वाहन उज्जैन पुलिस को प्राप्त हुए हैं. उसमें से 24 शहरी क्षेत्र में और 11 वाहन ग्रामीण क्षेत्र हेतु आवंटित किए गए हैं. सभी वाहन बोलोरो नियो मॉडल के हैं और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं.

पूजन के बाद दिखाई हरि झंडी

शुक्रवार को पुलिस लाइन उज्जैन में आयोजित भव्य फ्लैग ऑफ समारोह में राज्यसभा सांसद योगी उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव ,एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने संयुक्त रूप से वाहनों का पूजन हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया.

वाहनों की विशेषताएँ

प्रत्येक वाहन में एमडीटी, जीपीएस स्मार्टफोन, बॉडी-वॉर्न कैमरा और डैशबोर्ड कैमरा की सुविधा है, दुर्घटना या आकस्मिक घटनाओं में तुरंत मदद हेतु स्ट्रेचर, फर्स्ट-एड किट, रस्सी कटर और फायर उपकरण उपलब्ध है, हर वाहन में प्रशिक्षित पायलट नियुक्त, जो तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम है, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम और तत्काल शिकायत मॉनिटरिंग की सुविधा है. एचआरएएमएस आधारित कार्यप्रणाली से पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी.

100 से अपग्रेड होकर डायल-112

नए डायल-112 सिस्टम को डायल-100 का उन्नत और आधुनिक संस्करण माना जा रहा है. एआई आधारित ऑटो डिस्पैश्च सिस्टम से रिस्पॉन्स और तेज होगा. अब सभी आपातकालीन सेवाएँ एकीकृत होकर 112 नंबर पर उपलब्ध होंगी. एसआईपी ट्रंक लाइनों की संख्या बढ़ने से कॉल कनेक्टिविटी और क्षमता दोगुनी होगी.

सीएम हेल्पलाइन शिकायत में लापरवाही बरतने वाले 4 पटवारी निलंबित

भिंड, 29 अगस्त. मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लहार तहसील के चार पटवारियों को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है.

ये शिकायत सीएम समाधान में पहुंच गई थी, जिस संबंध में अपर कलेक्टर ने भी लहार तहसीलदार को पत्र जारी किया. 7 जनवरी 2022 को ग्राम जमुहां, तहसील लहार निवासी प्रवीण शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत क्रमांक 16338131 दर्ज कराई गई थी. यह शिकायत खसरे की नकल को ऑनलाइन करने के संबंध में थी. इसका निराकरण नहीं हो सका, जिसके बाद उक्त शिकायत सीएम समाधान पर पहुंच गई. इससे अधिकारियों ने संज्ञान लिया.

अपर कलेक्टर ने लहार तहसीलदार को नोटिस जारी किया, जिसके बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इस मामले में लापरवाही के लिए तत्कालीन पटवारी पदम सिंह यादव (वर्तमान में ग्राम अजनार), तत्कालीन पटवारी रविंद्र कुमार कुशवाह (वर्तमान में ग्राम डूंडा), तत्कालीन पटवारी भगवानदास परिहार (वर्तमान में ग्राम मसेरन) व वर्तमान जमुहा पटवारी अर्चना आजाद को निलंबित किया गया.

कंसोटिया रिटायर, दीपाली एसीएस पद पर पदोन्नत

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 अगस्त. भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी और अपर मुख्य सचिव गृह जेएन कंसोटिया शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गये.

उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 1994 बैच की अधिकारी और प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही दीपाली रस्तोगी को अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत कर दिया गया. मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक वर्ष का एक्सटेंशन मिलने के बाद यह साफ हो गया कि प्रदेश में अपर मुख्य सचिव स्तर का एक ही पद रिक्त होगा. ऐसे में अब प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला को एसीएस पद पर पदोन्नत होने के लिये इंतजार करना होगा.

इधर अंतिम कार्य दिवस पर मंत्रालय में कंसोटिया से मिलने वालों का सिलसिला दिनभर चलते रहा. सबसे पहले गृह विभाग ने उन्हें एक समारोह में औपचारिक विदाई दी. उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया. इस समारोह में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों के अलावा पीएचक्यू में पदस्थ स्पेशल डीजी और एडीजी स्तर के अफसरों ने भी हिस्सा लिया. जीएडी के समारोह में हिस्सा लेने के लिये मुख्य सचिव सबसे पहले अपने कक्ष से नीचे उतरकर गृह विभाग में कंसोटिया के कक्ष में पहुंचे. यहां से मुख्य सचिच जैन अपने साथ उन्हें समारोह स्थल तक ले गये. मुख्य सचिव जैन और कंसोटिया एक ही बैच के आईएएस अफसर हैं.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NAGPUR

प्लॉट क्र. 2, सेक्टर-20, मिहान, नागपुर - 441108

वेबसाईट: https://aiimsnagpur.edu.in

विज्ञापन संख्या : एम्स/नागपुर/एडमिन-1/ फॅकल्टी/2025/02 — दि. 30/08/2025

एम्स नागपुर के विभिन्न विभागों में फेकल्टी (समूह ए) के पदों की नियमित भर्ती/ अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त फेकल्टी के लिए / प्रतिनयुक्ति के आधार पर, चयन हेतु विज्ञापन

पीएमएसएसवाय के अंतर्गत स्थापित एम्स नागपुर, जिसका उद्देश्य, क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध अफोर्डेबल / विश्वसनीय जन स्वास्थ सेवाओं के असंतुलन में सुधार लाकर, देश में, चिकित्सा शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाना है। संस्थान ने सत्र 2018-19 से कार्य करना प्रारंभ किया है। एम्स नागपुर की एक उच्च स्तरीय शिक्षण, प्रशिक्षण व शोध संस्थान के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

इस तारतम्य में, कार्यकारी निर्देशक एम्स नागपुर द्वारा भारतीय नागरिकों/नागरिकता अधिनियम 1955 के 7ए सेक्शन के अंतर्गत भारत के ओवरसीज सिटीजन कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों से, फैकल्टी पदों के लिए नियमित भर्ती/ अनुबंध के आधार सेवानिवृत्त फेकल्टी के लिए / प्रतिनयुक्ति के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है -

अनु क्र.	विषय	प्राध्यापक	अतिरिक्त प्राध्यापक	सहयोगी प्राध्यापक	सहाय्यक प्राध्यापक
1	एनेस्थेसियोलॉजी	-	-	02 (01 ओबीसी, 01 ईडब्लूएस)	04 (01 अनारक्षित, 01 ओबीसी, 01 एससी, 01 एसटी)
2	बायोकेमिस्ट्री	-	-	-	02 (01 अनारक्षित, 01 ईडब्लूएस)
3	बायोस्टैटिस्टिक्स	-	-	-	01 ओबीसी
4	बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी*	-	-	-	01 अनारक्षित
5	कार्डीओलॉजी*	-	01 ओबीसी	-	03 (01 अनारक्षित, 01 ओबीसी 01 एससी)
6	कार्डीओथोरॅसिक सर्जरी*	-	-	-	02 (01 अनारक्षित, 01 ओबीसी)
7	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	01 एसटी
8	डेंटिस्ट्री (ऑर्थोडोंटिक्स अँड डेंटोफेशल ऑर्थोपेडिक्स)	-	-	01 अनारक्षित	-
9	डेंटिस्ट्री (पीडियाट्रिक & प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री)	-	-	01 एससी	-
10	डेंटिस्ट्री (प्रोस्थोडोंटिस्ट)	-	-	01 ओबीसी	-
11	डर्मेटोलॉजी	01 एससी	-	-	01 अनारक्षित
12	एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबोलिस्म*	-	01 एससी	01 ओबीसी	03 (01 ओबीसी, 01 एससी, 01 एसटी)
13	इएनटी	-	-	-	02 (01 एससी, 01 ईडब्लूएस)
14	गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (मेडिकल)*	01 अनारक्षित	01 अनारक्षित	01 एसटी	03 (01 अनारक्षित, 02 ओबीसी)
15	जनरल मेडिसिन	-	-	-	02 (01 अनारक्षित, 01 एससी)
16	जनरल सर्जरी	-	-	-	03 (01 ओबीसी, 01 एससी, 01 ईडब्लूएस)
17	हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन	01 एसटी	-	-	03 (01 ओबीसी, 01 एससी, 01 एसटी)
18	मेडिकल हेमाटोलॉजी*	-	01 अनारक्षित	-	01 अनारक्षित
19	मेडिकल ऑन्कोलॉजी*	01 अनारक्षित	-	01 ईडब्लूएस	03 (01 अनारक्षित, 02 ओबीसी)
20	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	02 (01 अनारक्षित, 01 एसटी)
21	नोनटोलॉजी*	-	01 एससी	-	02 (01 ओबीसी, 01 एससी)
22	नेफ्रोलॉजी*	01 ओबीसी	01 एसटी	01 एससी	02 अनारक्षित
23	न्युरोलॉजी*	01 अनारक्षित	01 अनारक्षित	01 ओबीसी	04 (02 ओबीसी, 01 एसटी, 01 ईडब्लूएस)
24	न्युरोसर्जरी*	01 अनारक्षित	-	-	02 (01 एससी, 01 अनारक्षित)
25	न्युक्लीअर मेडिसिन	-	-	01 एसटी	04 (01अनारक्षित, 01 ओबीसी, 01 एससी)
26	आब्सटेट्रिक्स अँड गायनेकोलॉजी	-	-	-	01 ओबीसी
27	ऑपथैल्मोलॉजी	-	-	01 ओबीसी	01 एससी
28	आर्थोपेडिक्स	-	-	-	02 (01 अनारक्षित, 01 एसटी)
29	पीडीयाट्रिक सर्जरी*	-	-	-	01 ओबीसी
30	पीडीयाट्रिक्स	-	-	-	02 (01 अनारक्षित, 01 ईडब्लूएस)
31	पॅथॉलॉजी/लॅब मेड	-	-	-	02 (01 ओबीसी, 01 एससी)
32	सायकीयाट्रि	01 ईडब्लूएस	-	-	01 अनारक्षित
33	पल्मोनरी मेडिसिन*	-	-	-	02 अनारक्षित
34	रेडीओडायग्नोसीस	-	-	-	06 (01 अनारक्षित, 02 ओबीसी, 01 एससी, 01 एसटी, 01 ईडब्लूएस)
35	रेडिओथेरपी	-	-	-	01 अनारक्षित
36	रुमेटोलॉजी एंड क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी*	-	-	01 ओबीसी	-
37	सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी*	01 ओबीसी	-	-	01 अनारक्षित
38	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी*	-	01 ओबीसी	01 एससी	02 (01 ओबीसी, 01 एससी)
39	ट्रांसफ़्यूज़न मेडिसिन एंड ब्लड बैंक	-	01 ईडब्लूएस	-	01 अनारक्षित
40	ट्रौमा अँड इमरजेंसी	-	-	-	06 (03 अनारक्षित, 01 ओबीसी, 01 एससी, 01 ईडब्लूएस)
41	युरोलॉजी*	01 (अनारक्षित)	-	01 ओबीसी	02 (01 ओबीसी, 01 ईडब्लूएस)
	कुल	**10**	**09**	**15**	**82**
	कुल पद	**116 पद**			

नोट: 1. विज्ञापन का प्रारूप, आयु सीमा, अनिवार्य योग्यताएँ तथा अनुभव तथा वेतनमान आदि तथा आवेदन शुल्क के अग्रिम भुगतान की लिंक संबंधित विवरण वेबसाइट https://aiimsnagpur.edu.in पर उपलब्ध है। इच्छुक प्रत्याशी जो सभी योग्यता मापदंडो को पूरा करते है, अपना आवेदन गूगल लिंक के माध्यम से दिनांक **29-09-2025 तक तथा स्पीड/पंजीकृत पोस्ट** द्वारा कार्यकारी निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम्स नागपुर, प्रशासनिक भवन, प्लाट न 2, सेक्टर-20, मिहान, नागपुर - 441108 के पते पर **06-10-2025** तक जमा कर सकते है।

कार्यकारी निर्देशक,
एम्स नागपुर

मुद्गल रिटायर, शमी बने स्पेशल डीजी

भोपाल. भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1991 बैच के अधिकारी योगेश मुद्गल शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गये. मुद्गल के रिटायर होने के बाद संजीव शमी को स्पेशल पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है. शमी वर्ष 1993 बैच के आईपीएस हैं और वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार के पद पर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हैं.

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी** होने के नाते एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व में) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएचएफसी" के रूप में संदर्भित किया गया है) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग नोटिस जारी किया है जिसमें आप उधारकताओं (नीचे उल्लिखित नाम) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज चुकाने के लिए कहा गया है। नीचे उल्लिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को एतद्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से कोई भी लेन-देन **"एसएमएचएफसी"** के प्रभार के अधीन होगा, जो कि नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के रूप में होगा।

स. क्रं.	उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	कब्जा की तिथि
1	लैन:- 601608110213780 एवं 601607510252693 1. संतोष अंबाराम 2. कृष्णा बाई संतोष 3. श्री गणेश दूध डेयरी रेस्तरां	भूखंड का वह पूरा टुकड़ा, भूमि का भाग सर्वेक्षण क्रमांक 525/1/1/2, 525/1/2, 525/1/3, 525/1/4, 525/1/5, 525/1/6, ग्राम बरलाई जागीर, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 453771, 108 वर्ग मीटर। सीमाएँ: पूर्वः सुभाष, पश्चिमः गनेह, उत्तरः रोड, दक्षिणः जितेंद्र।	12.06.2025 रु. 15,71,069.01/- (पंद्रह लाख ईकत्तर हजार उनत्तर एक पैसा) 11.06.2025 तक	26.08.2025
2	लैन:- 601739211666987 एवं 601739511710044। 1. जितेंद्र सिंह पंवार 2. हीना कुँवर	नगरपालिका क्रमांक 37/1, वार्ड क्रमांक 06, मोहन नगर (ए), आगर रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456550, 115.51 वर्ग मीटर में स्थित मकान का वह पूरा टुकड़ा। सीमाः- पूर्वः सड़क, पश्चिमः विक्रेता की खुली भूमि, उत्तरः गुप्ता जी की खुली भूमि, दक्षिणः श्रीमती रेणुका उपाध्याय की खुली भूमि।	12.06.2025 रु. 71,06,626.97/- (ईकत्तर लाख छह हजार छह सौ छब्बीस और सत्तानवे पैसे) 11.06.2025 तक	29.08.2025

स्थान : इन्दौर/उज्जैन, मध्यप्रदेश
दिनांक : 26.08.2025/29.08.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60